

19⁸/₂₅

पत्रावली पैश । प्रार्थी व वकील प्रार्थी
को बार - बार आवाज लगाई गई ।
बार - बार आवाज लगाने के पश्चात
भी प्रार्थी व वकील प्रार्थी न्यायालय
में हाजिर नहीं हुए । अतः प्रार्थी का
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रिती
अपम हाजरी अपम पैरवी में खारिज
किया जाता है पत्रावली फसल शुमार
होकर नम्बर से कम होकर बाबिल
दफतर हो ।

उपस्यण्ड अधिकारी
बंशारामगढ़